



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, (जोधपुर)  
जिला - जोधपुर  
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.व.जा.) /20309065978

दिनांक: 11-11-2020

आवेदक का आधार नम्बर:

आवेदक/परिवार के मुखिया का नामासाह काई संख्या:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र/पुत्री श्री सुरजाराम गांव/नगर खटीको का मोहल्ला घड़ा बास, महामंदिर, जोधपुर जिला/डिवीजन जोधपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 36 KHATIK (36 खटीक) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (बम्बई संशोधन) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पंडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री धीरेन्द्र कुमार गांव/नगर खटीको का मोहल्ला घड़ा बास, महामंदिर, जोधपुर जिला / डिवीजन जोधपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ नहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एक.21(37) एच.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियौंस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रगत अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.rajasthan.gov.in](http://www.emitra.rajasthan.gov.in) पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या : 200321680542

- उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by  
HANUMAN SINGH  
RATHORE  
Date: 2020.11.11 17:21:27  
+05:30  
Reason: Approved  
Location: Rajasthan

